

Recd  
An

2018/00249

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी : श्रीपेन्द्र कुमार भादव

R.A.S  
① नैनाराम पुत्र फजलुराम ②  
भाखराराम पुत्र कानाराम भादव  
विश्वोदर मि. उपरला

उनवान  
बनाम  
तेजाराम, लाधुराम पि.  
कनाराम हरदत्त पुत्र मि. उपरला  
सुवशी पत्नी फजलुराम  
जाति विश्वोदर मि. उपरला

दावा बाबत 88 RA 14

मुकदमा नम्बर :- 146/18

निर्णय दिनांक :- 15-6-18

वादी की ओर से नैनाराम की व प्रतिवादी की ओर से लाधुराम की  
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-6-18 को (नाम पीठासीन अधिकारी),  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और  
डिक्री दी जाती है कि -

वर्दीगण लावाड कूपरी सहभूमि से लीकर कृ. भोजा उपरला के खेत  
ख. नं. 105, 156, 158, 159, 160, 180 व भोजा मानासर के खेत ख. नं. 285  
में वर्दीगण का नाम बगनाथ व भाखराराम के लिये घट शुद्ध नाम  
नैनाराम पुत्र फजलुराम व भाखराराम पुत्र कानाराम पुत्र कानाराम के लिये की  
घोषणा की जाती है। निर्णय कीपालना हेतु तटस्थता (चौहटन  
को छोड़कर) दिया जाता है



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
चौहटन